राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1845/2024
नेतराम यादव

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर जॉन, जयपुर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (मुख्यालय) बहरोड़, जिला बहरोड़, कोटपुतली।
5. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गुंती, तह. बहरोड़, जिला बहरोड़, कोटपुतली।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 24.05.2024

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बसंल, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी ने दिनांक 21.06.2015 से 20.07.2015 एवं 23.07.2015 को अवकाश पर रहने के प्रत्यर्थी विभाग को अवकाश स्वीकृत करने के लिए निवेदन किया था, किंतु अपीलार्थी को उक्त अवधि का अवकाश स्वीकृत नहीं किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी द्वारा अवकाश स्वीकृति के लिए किये गये आवेदन पत्र पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी द्वारा पूर्व में इस अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 2727/2015 प्रस्तुत की थी, जिसमें दिनांक 07.09.2015 एवं 08.09.2015 (दो दिवस) के दिवस का अवकाश खाते में शेष सीएल अथवा अन्य अवकाशों से स्वीकृत कर

अपीलार्थी की सेवा को लगातार मानते हुए अपीलार्थी को लाभ प्रदान किया जाए। अपीलार्थी की वर्तमान अपील उसी अवधि में लिये गये अवकाश के संबंध में है, जिसमें 9 वर्ष पश्चात भी प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

3. हमनें अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।
4. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए हम पाते हैं कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 21.06.2015 से 20.07.2015 एवं 23.07.2015 के दिवस का अवकाश स्वीकृति बाबत प्रत्यर्थी विभाग को दिये गये आवेदन पत्र के 9 वर्ष पश्चात भी प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अवकाश स्वीकृति के संबंध में आदेश जारी नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत इस अपील का निस्तारण इस प्रकार किया जाता है कि अपीलार्थी को दिनांक 21.06.2015 से 20.07.2015 एवं 23.07.2015 का अवकाश उसके खाते में शेष सीएल अथवा अन्य किसी अवकाश से स्वीकृत कर अपीलार्थी की सेवाएं लगातार मानते हुए अपीलार्थी को लाभ प्रदान किया जाए।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)